Gems/2025/327

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

पन्नालाल सामोता .... बनाम .... तहसीलदार

किस्म मुकदमा .... प्रार्थना पत्र – 136 LR Act .... मु.नं. 489 .... वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
31/10/25	प्रार्थी पन्ना लाल सामोता पुत्र भूरा राम जाति जाट निवासी ग्राम सुजानपुरा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 83, 85, 217 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टियां पन्नाराम पुत्र भूराराम/पन्ना पुत्र भूरा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि पन्ना लाल सामोता पुत्र भूरा राम है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रतियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि पन्ना लाल सामोता पुत्र भूरा राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि पन्नाराम पुत्र भूराराम/पन्ना पुत्र भूरा के स्थान पर पन्ना लाल सामोता पुत्र भूरा राम दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/209 दिनांक 11.10.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 83, 85, 217 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टियां पन्नाराम पुत्र भूराराम/पन्ना पुत्र भूरा के स्थान पर पन्ना लाल सामोता पुत्र भूरा राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/209 दिनांक 11.10.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 14:19:26 IST
Reason: SelfAttested